न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–295/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00250)

01. खाजू खॉ पुत्र बेली खॉ जाति मुसलमान,
02. चॉद खॉ पुत्र सवाई खॉ जाति मुसलमान,
03. कालू खॉ पुत्र अजीम खॉ जाति मुसलमान,
04. सत्तार खॉ पुत्र बोदू खॉ, जाति मुसलमान,
05. इमाम बक्स पुत्र सुलेमान खॉ, जाति मुसलमान,
06. लाल खॉ पुत्र सुलमान खॉ जाति मुसलमान,
07. सत्तार खॉ पुत्र सुलेमान खॉ जाति मुसलमान,
08. इस्लाम खॉ पुत्र सुलेमान खॉ, जाति मुसलमान,
09. युसुफ पुत्र सुभान खॉ जाति मुसलमान,
10. मुन्ना पुत्र सभान खॉ जाति मुसलमान,
11. मोहम्मद आमीन पुत्र सवाई उर्फ सुवा खॉ जाति मुसलमान,
12. हकीम खॉ पुत्र बेली खॉ जाति मुसलमान,
13. बाबू खॉ पुत्र बेली खॉ जाति मुसलमान,
14. हमीद खॉ पुत्र बेली खॉ जाति मुसलमान,
15. छोटू खॉ पुत्र बेली खॉ, जाति मुसलमान,
16. पप्पू खॉ पुत्र अजीम खॉ जाति मुसलमान,
17. ईदा पुत्र अजीम खॉ, जाति मुसलमान,
18. सकीना बैवा अजीम खॉ, जाति मुसलमान,
19. काली पुत्र मोती खॉ, जाति मुसलमान,
20. मजीद खॉ पुत्र शकूर खॉ, जाति मुसलमान,
21. अजीज खॉ पुत्र शकूर खॉ, जाति मुसलमान,
22. सकूरी बेवा शकूर खॉ, जाति मुसलमान, 1 से 22 समस्त निवासी ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1 तहसीलदार तहसील दूदू, जिला जयपुर।
2. छीतर पुत्र नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
3. उदा पुत्र नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम नोल्या, तहसील दूदू जिला जयपुर।
4. एस.बी.बी.जे शाखा दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.09.2018

अपीलार्थी द्वारा यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेश दिनांक 26.07.2017 (प्रकरण संख्या 127/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 न्याय नियम व रिकार्ड के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 136 के प्रावधानों को सही रूप से देखे बिना ही सरसरी तौर पर बिना किसी आधार के उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि धारा 111, 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तरमीम व दुरूस्ती की कार्यवाही का प्रावधान प्रावधित किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा रिकार्ड व जॉच रिपोर्ट प्राप्त करके दुरूस्ती का आदेश पारित कर सकता है, मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के सरसरी तौर पर प्रकरण को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परास में नही आना मानते हुये खारिज किया है, जबकि न्यायालय ने अपने आदेश में धारा 111 भू राजस्व अधिनियम का प्रावधान का उल्लेख किया है वही दूसरी ओर वह अपने आदेश में उक्त वर्णित प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा न्यायालय द्वारा आदेश में किसी भी कारण का कोई उल्लेख नही कर केवल सरसरी तौर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि अपीलान्ट के द्वारा हाल नक्शा ट्रेस जो कि वर्तमान सेटलमेन्ट की कार्यवाही में जारी किया गया उसमें व साबिक नक्शा ट्रेस में काफी अन्तर होने व अपीलान्ट के भूमि व कुॅऐ की स्थिति में परिवर्तन होने व कुॅए को अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर में दर्शाया जाने को दुरूस्त करने के लिये प्रार्थना पत्र तरमीम पेश किया गया था, नक्शें में रिकार्ड के मुताबिक पुरानी व नयी वर्तमान शीट में परिवर्तन होना अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया व उनके जवाब में यह माना गया कि नक्शा ट्रेस पुराने नक्शा लट्ठा व नवीन शीट में मिलाने करने पर लगभग सही प्रतीत होता है व पुराने खसरा नम्बर अनुसार ही नवीन खसरा नम्बरों की सीमाऐं नक्शें में बनायी गई है, कही–कही पर रेखाऐं घट–बड रही है लेकिन रकबा बरारी करने पर सही पाया गया, तहसीलदार ने यह भी पाया कि साबिक खसरा नम्बर के नक्शा लट्ठे के वर्तमान नक्शा शीट से मिलान करवाया गया जिसमें कि नक्शा में लगभग समान मिलना बताया व नये व पुराने नक्शे में खसरा नम्बरों की सीमाओं में कही–कही रेखाए घट व बड रही है, माना है जो कि स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण के द्वारा किये गये कथन की पुष्टि करता है कि उनके नक्शे में खसरा नम्बरान में हाल खसरा नम्बरान व पुराने खसरा नम्बरान में भिन्नता होने साबित है, साबिक खसरा नम्बर के नक्शा लट्ठे से वर्तमान नक्शाशीट से मिलान करवाया गया, पुरानी शीट व नयी शीट इम्पोज करने पर सभी खसरा नम्बरों की स्थिति में सभी मेडों में परिवर्तन होना पाया, उक्त स्वीकृत

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथ्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि वर्तमान नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा ट्रेस मे भिन्नता स्पष्ट रूप से दर्शित होना साबित है और तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस बात की पुष्टि होती है लेकिन तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों पर सही रूप से देखे बिना व उन पर सही रूप से विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपने आदेश में यह माना है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है जबकि मौजूदा प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा सेटलमेन्ट के पश्चात् जारी हाल नक्शें में दुरूस्ती के लिये व साबिक नक्शे के अनुसार दुरूस्ती को यथावत रखने के लिये हाल नक्शा ट्रेस में हुयी त्रुटि को दुरूस्ती की प्रार्थना अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की गई थी, जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में ही आता है व उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आना मानकर प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज निरस्त किया है जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दुष्ठान्त में यह माना है कि नक्शे में दुरूस्ती के लिये धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही को किया जाना समुचित माना गया है लेकिन उपखण्ड अधिकारी दूदू ने सही रूप से कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये सरसरी तौर पर ही प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायलाय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में यह माना गया है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान मौजूदा प्रकरण में लागू नही होते है व राजस्व नक्शें मे त्रुटि का सुधार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आना मानते हुये मौजूदा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जबकि न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व यह अंकित नही किया प्रार्थना पत्र किस प्रकार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की पारिस में नही आता है इसके कारण विस्तृत रूप से उनके द्वारा पारित आदेश में अंकित नही किया गया केवल सरसरी तौर पर यह मानते हुये कि प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परास में नही आना मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में धारा 132 से 137 के प्रावधानों उल्लेख किया व धारा 111 में उल्लेखित प्रावधानो का उल्लेख किया गया वही दूसरी और उन प्रावधानों को सही रूप से देखे बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में विधि के प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2017 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की सुनवाई विस्तृत रूप से विधि के प्रावधान के अनुसार किया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 छीतर व उदा पुत्रान नारायण जाट ने दिनांक 13.06.2017 को प्रस्तुत किये गये अपने जवाब में मख्य रूप से यह अभिवचन किये कि उन्होने अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया था, जिसकी अवहेलना प्रार्थीगण द्वारा की जा रही है व उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, इसके अतिरिक्त यह भी अभिवचन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा हाल राजस्व नक्शे में कुऐ के सम्बन्ध में चित्रित किये गये विवाद बाबत राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया था जो खारिज हो चुका है तथा वर्तमान में मामला राजस्व मण्डल के समक्ष लम्बित है, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नवीन नक्शे व पुरान नक्शे का समरूप होना स्थित करते हुऐ प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार दूदू की ओर से दिनांक 23.06.2017 को इस आशय की जवाब देही पेश की गई थी कि ग्राम नोल्या के खसरा नम्बर 473, 474, 486 लगायत 491 के पुराने खसरा नम्बर 2942, 2941/2, 3847, 3046, 3049, 3050 की नक्शा ट्रेस एवं रकबा बरारी भू–अभिलेख पटवारी हल्का से करवाइ जाकर रिपोर्ट प्राप्त करने पर रकबा बरारी में खसरा नम्बरों का रकबा लगभग समान मिलता है तथा नक्शा ट्रेस पुराने नक्शा लट्ठा एवं नवीन सीट से मिलान करने पर लगभग सही प्रतीत होता है, कही–कही रेखाऐ घट–बढ रही है लेकिन रकबा करारी करने पर रकबा सही पाया गया, पुराने नक्शे में से नये नक्शे का मिलान गैजी की सीमा रेखा को मानते हुए किये जाने पर वादी के खातों की मेढ पीले रंग से दर्शाई गई स्थिति में बनती है, प्रश्नगत मेढ पश्चिम की ओर से एवं पूर्व की मेढ इसी अनुपात में पश्चिम की ओर जाती है तथा खसरा नम्बर 449, 454 ग्राम गेजी की सीमा में बनते है जिन्हे पीले रंग से दर्शाया गया है इस प्रकार प्रश्नगत मेढ के हिलने से ग्राम के सभी खसरा नम्बर प्रभावित होते है, खसरा नम्बर 3938 ग्राम नोल्या में नही है, खसरा नम्बर 460 का पुरान नम्बर 2940/1 मिन है खसरा नम्बर 2938 मे कुऐं का निशान है तथा पृथक से नम्बर इन्द्राज नही है वर्तमान में कुऐ की आकृति खसरा नम्बर 460 में दर्शायी जाकर रकबा 0.11 किस्म गैर मुमकिन चाह छीतर पुत्र नारायण जाट दर्ज किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार मौजमाबाद के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के समक्ष पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 61/2009 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था जिसमें इस आशय के तथ्य उल्लेखित किये गये थे कि वह अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 445 लगायत 456, 459 लगायत 462, 476 लगायत 485 कुल किता 21 कुल रकबा 9.74 हैक्टयर के पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2009 को हो चुका है, उपरोक्त न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 18.02.2015 के द्वारा स्वीकार कर लिया जिसकी पालना में दिनांक 21.12.2015 को जरिये फर्द मौका पत्थरगढी राजस्व अधिकारियो ने मौके पर जाकर पत्थरगढी करवा दी थी जिसमें मौके का विवाद समाप्त हो गया था।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य एवं तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा हस्तगत मामलें मे प्रस्तुत किये गये जवाब को मददेनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 26.07.2017 विधि सम्मत है व इसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई, हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2017 की पुष्टि किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 की पुष्टि ली जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि प्रथम तो आराजी का नक्शा भी राजस्व रिकार्ड का ही एक भाग है जिसकी दुरूस्ती हेतु भू राजस्व अधिनियम 1936 की धारा 136 में प्रावधान प्रावधित है, द्वितीय तहसीलदार दूदू द्वारा पत्रांक 1667 दिनांक 23.06.2017 द्वारा पुराने खसरा नम्बर अनुसार ही नवीन खसरा नम्बरों की सीमाये नक्शे में बनायी गयी है, कही–कही पर रेखाऐं घट–बढ रही है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2017 पारित किया गया है, जिसे काननून उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व तहसीलदार से प्रकरण में विस्तृत जांच रिपोर्ट तलबी की जाकर पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।